



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2023/293

--आदेश--

दिनांक 18/02/25

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दरतावेजात यथा आधार कार्ड प्रति, शपथ पत्र प्रति व बैंक डायरी प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वीरमपुरा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 103 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	वीरमपुरा	103	एवनकुंवर पुत्री जयसिंह कमलेशकुंवर पुत्री जयसिंह	किरणकंवर उर्फ एवनकुंवर पुत्री जयसिंह प्रियाकंवर उर्फ कमलेशकुंवर पुत्री जयसिंह



3
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 18-02-2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/170-172

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का भंदर को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्रीमती किरण कंवर पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली हाल पाली दमैरा को सूचनार्थ।

3
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन सहा. कलक्टर, बाली